2024/10
2024/12

<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

(1) <u>प्रकरण संख्या 02/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

भेरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती जेती बाई पत्नी भीमा जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मोती बाई पत्नी लाला जी डांगी, निवासी सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कमला पत्नी गोवर्धनलाल जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) <u>प्रकरण संख्या 03/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

भेरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती जेती बाई पत्नी भीमा जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मोती बाई पत्नी लाला जी डांगी, निवासी सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कमला पत्नी गोवर्धनलाल जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उप–पंजीयक, उप–पंजीयक कार्यालय, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री खेमराज डांगी/ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4, 5

———/———

अपीलें अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ – 19[illegible] विरुद्ध निर्णय व डिक्री [illegible] 04.04.2013 व 10.01.[illegible]0 प्र.सं. 16/12

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय   दिनांक 28—05—2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव नांदवेल में आराजी नंबर 518, 519, 520, 738, 755, 847 कुल किता 6 रकबा नौ बीघा नौ बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में अंकित है। मूल पुरूष रूपा जी होकर उनके पुत्र भेरा, दो पुत्रियां जेतीबाई व मोतीबाई तथा पत्नी तुलसीबाई है, लेकिन रूपा जी के नाम अंकित भूमि में पुत्रियों के नाम अंकित नहीं हुई, जबकि वादिया रूपा की पुत्री होने से उसका भी विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा होकर काबिज चली आ रही है। विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित होने से किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादिया को विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात मौरूसी होने से प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है। अतः वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04—04—2013 से वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की इस्तदुआ स्वीकार करते हुए वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 3 को विवादित आराजियात के 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया।

दिनांक 06—01—2020 को वादिया द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र एवं श्रीमती कमला बाई द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा.दी. व धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीया कमला बाई द्वारा आराजी नंबर 847 रक[illegible] बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

व 2 से क्रय की गयी है। अतः उक्त क्रय शुदा रकबे का उसे खातेदार घोषित करते हुए संशोधित डिक्री जारी की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10–01–2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नंबर 847 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से से कम करते हुए संशोधित डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 व संशोधित डिक्री दिनांक 10–01–2020 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त दोनों अपीलें दिनांक 28–12–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 10–01–2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलों में पक्षकारान एवं विवादित आराजियात समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों की अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04–12–2023 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी पर आयी और का कि जमीन मेरे नाम हो गयी है, इसलिए मेरे हिस्से का कब्जा मुझे सौंप दो। तब अपीलान्ट पटवारी हल्का से मिलने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर अपीलान्ट द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 व संशोधित डिक्री दिनांक 10–01–2020 के विरूद्ध उक्त दोनों अपीलें दिनांक 28–12–2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जबकि 60 दिवस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

अर्थात दिनांक 04–04–2013 के विरूद्ध अपील दिनांक 03–06–2013 तक एवं दिनांक 10–01–2020 के विरूद्ध अपील दिनांक 10–03–2020 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार दिनांक 04–04–2013 के विरूद्ध अपील करीब 10½ से भी अधिक विलम्ब से तथा संशोधित डिक्री दिनांक 10–01–2020 के विरूद्ध अपील करीब 3 वर्ष 9½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी हैं एवं इनके लिए अपीलान्ट ने जो कारण बताये हैं, वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही इतने अधिक विलम्ब हेतु इसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। तद्नुसार उक्त दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दनांक 20–12–2012 के फर्द अहकाम में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन पेश किये, जिसे एक माह की अवधि पूर्ण होना मानकर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को इस प्रकरण का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया की एकतरफा साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 3 का कोई काउण्डर क्लेम नहीं होते हुए उसके पक्ष में 1/4 हिस्से की डिक्री जारी करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। ऐसी स्थित में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक निर्णय दिनांक 10–01–2020 का प्रश्न है, दिनांक 04–04–2013 को निर्णय हो जाने के बाद प्रकरण किस आधार पर दर्ज किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। जबकि नियमानुसार धारा 151 जा.दी. के तहत पुर्नवालोकन प्रार्थना पत्र अलग से दर्ज किया जाकर उसकी सूचना पक्षकारों को दी जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने केवल वादिया व कमलाबाई को सुनकर पुर्नवालोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संशोधित डिक्री जारी कर दी, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 10–01–2020 अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजियात रूपा की खातेदारी की होने से तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 रूपा की पुत्रियां होने से अधिनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार मौरूसी भूमियों में पुत्रियों का समान हक अधिकार होने के कारण वादिया व प्रतिवादी संख्या 3 विवादित आराजियात के 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत है एवं तत्पश्चात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 कमला बाई द्वारा आराजी नंबर 847 रकबा 15 बिस्वा क्रय कर लिये जाने के कारण उक्त आराजी कमला बाई के हिस्से में रखने की संशोधित डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2013 तथा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2020 यथावत रखे जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............ व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

भेरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर	बनाम	**श्रीमती जेतीबाई पत्नी भीमा जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰......**02/2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**मावली**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**04**..............माह..............**04**............**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**28**....माह........**05**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री खेमराज/ओंकारलाल डांगी**....मनजानिब अपीलान्ट व...**श्री कमलेश चौहान**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 04–04–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**28**.......माह.......**05**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

भेरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी नान्दवेल, तहसील मावली, जिला उदयपुर

बनाम

श्रीमती जेतीबाई पत्नी भीमा जी डांगी, निवासी फतहपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰......03/2024...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....मावली.......... मुकाम................मुवर्खे.............10..............माह..............01............2020

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........28....माह........05....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी...श्री खेमराज/ओंकारलाल डांगी....मनजानिब अपीलान्ट व...श्री कमलेश चौहान

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का संशोधित निर्णय व डिक्री 10–01–2020 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......28.......माह.......05..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कु[illegible] [illegible] अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:52 IST
Reason: SelfAttested